Regarding disapproving the Central Educational Institutions (Reservation in Teachers' Cadre) Ordinance, 2019 (No. 13 of 2019);

and

The Central Educational Institutions (Reservation in Teachers' Cadre) Bill, 2019

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, the Statutory Resolution Disapproving the Central Educational Institutions (Reservation in Teachers' Cadre) Ordinance, 2019 (No.13 of 2019); and the Central Educational Institutions (Reservation in Teachers Cadre) Bill, 2019, to be discussed together.

Now, Shri Elamaram Kareem to move the Statutory Resolution.

SHRI ELAMARAM KAREEM (Kerala): Sir, I move the following Resolution:—

"That this House disapproves the Central Educational Institutions (Reservation in Teachers Cadre) Ordinance, 2019 (No.13 of 2019) promulgated by the President of India on 7th March, 2019."

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You can speak for two minutes.

SHRI ELAMARAM KAREEM: Sir, I am opposing the Ordinance, not the spirit of the Bill. Sir, this Ordinance was promulgated on 7th March, 2019, just before the announcement of the General Elections. This Government was in power from 2014 onwards; a full-term Government was in power. Sir, they did not remember the poor sections of the society, the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the socially and economically backward classes. This Bill intends to give reservation to the weaker sections in teachers' cadre. But, Sir, I have to ask one question. What was the exigency or the emergency in bringing such an ordinance all of a sudden? Why did not you remember this poor section earlier? By bringing this ordinance, you are undermining the propriety of the House. It is against the spirit of democracy. It is against the spirit of the Constitution. So, I oppose this method.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Resolution is moved. Now, Shri Ramesh Pokhriyal 'Nishank' to move a motion for consideration of the Central Educational Institutions (Reservation in Teachers' Cadre) Bill, 2019. ...*(Interruptions)*...

SHRI ELAMARAM KAREEM: Sir, I want to say something. ...*(Interruptions)*... Sir, I have a point of order.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have already made your speech.

SHRI ELAMARAM KAREEM: Sir, I have a point of order.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Under which Rule?

SHRI ELAMARAM KAREEM: Rule 95, Sir.

Sir, it says that a Member has to give notice for an amendment to a Bill one day before. Here, the Bill has come in the afternoon. We got the Supplementary List of Business in the afternoon only. I did not have the Bill earlier to give the amendment to the Bill. So, it is not in order to present the Bill in the House. ...*(Interruptions)*...

SHRI BINOY VISWAM: Sir, it is a valid point. ...*(Interruptions)*...

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, he is absolutely right. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will come to it. ...*(Interruptions)*... In such cases, this clause is relaxed. So, the hon. Minister can move the Bill. ...*(Interruptions)*...

SHRI P. BHATTACHARYA: Sir, I want to say something. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There is a provision. Hon. Chairman has the power to do it. ...*(Interruptions)*... Hon. Chairman has the power to do it. ...*(Interruptions)*... Please go back to your seats. ...*(Interruptions)*... Ragesh ji, please go back to your seat. ...*(Interruptions)*... Somaprasad ji, please go back to your seat. Please take your seat. ...*(Interruptions)*... Hon. Chairman has the power to do it. ...*(Interruptions)*...

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री मुख्तार अब्बास नक़वी): उपसभापति जी...**(व्यवधान)**... यह चेयरमैन का विशेषाधिकार है और चेयरमैन इसको condone कर सकते हैं। It is the Chairman' s prerogative. ...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापति: सुबह तक मेम्बर्स को बिल की कॉपी मिल गई थी, दोपहर में डिस्ट्रिब्यूट हुआ है, यदि वे चाहते तो अमेंडमेंट्स दे सकते थे। That is all. ...*(Interruptions)*... I have already clarified

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि...**(व्यवधान)**... केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित, अनुरक्षित और ...**(व्यवधान)**... सहायता प्राप्त कतिपय केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षकों के...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. ...*(Interruptions)*... Just wait for a minute. Mr. Ragesh, please go back to your seat and listen for a minute. ...*(Interruptions)*... It was distributed and Dr. Subbarami Reddy has already moved an amendment. It is here. ...*(Interruptions)*...

नेता सदन (श्री थावरचन्द गहलोत): उपसभापति जी, माननीय सदस्य ने कार्य संचालन नियमावली के नियम 95वें का उल्लेख किया है।...**(व्यवधान)**... उन्होंने जो बात कही है, वह एकदम अन्यथा है। ...**(व्यवधान)**... मैं इसको पढ़कर सुनाना चाहूंगा। इसमें यह लिखा है कि, "यदि किसी संशोधन की सूचना, विधेयक की नहीं, किसी संशोधन की सूचना उस दिन से एक दिन पूर्व न दी गई हो।" सर, यहां पर यह विषय है ही नहीं, यहां पर तो विधेयक आया है, संशोधन नहीं आया है।...**(व्यवधान)**... दूसरा, जिस दिन

विधेयक पर विचार किया जाना हो...**(व्यवधान)**... तो कोई भी सदस्य उस संशोधन को उपस्थित ...**(व्यवधान)**... किए जाने पर आपत्ति ...**(व्यवधान)**... नहीं कर सकेगा और ...**(व्यवधान)**... जब तक सभापति उस संशोधन को उपस्थित किए जने की अनुमति न दें...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Binoy ji, it has already been clarified. ... *(Interruptions)*... The Leader of the House is speaking, please listen. ... *(Interruptions)*...

श्री थावरचन्द गहलोत: अगर कोई संशोधन आज आया होता, तो उस पर आपत्ति होती, लेकिन माननीय सदस्य ने जो आपत्ति दर्ज की है, वह न तो प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है, न ही valid है।...**(व्यवधान)**...

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री (श्री प्रकाश जावडेकर): सर, आपको पूरा अधिकार है और जैसा कि आपने कहा है कि श्री टी. सुब्बारामी रेड्डी ने अमेंडमेंट दे दिया है, इसलिए सुब्बारामी रेड्डी जी ...**(व्यवधान)**... से ट्यूशन लगानी चाहिए।

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'): श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं:

'कि केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित, अनुरक्षित और सहायता प्राप्त कतिपय केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थाओं में, शिक्षकों के काडर में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों द्वारा नियुक्तियों में पदों के आरक्षण का और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, जैसा कि लोक सभा द्वारा पारित किया गया है, पर विचार किया जाए।" ...**(व्यवधान)**...

The questions were proposed.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Statutory Resolution and the motion for consideration of the Bill are now open for discussion. ... *(Interruptions)* ...

SHRI MADHUSUDAN MISTRY: Sir, I have a point of order. ... *(Interruptions)* ...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri P.L. Punia. ... *(Interruptions)* ...

SHRI MADHUSUDAN MISTRY: Sir, the Bill should not be considered on the same day. ... *(Interruptions)* ...

श्री उपसभापति: मिस्त्री जी, आप वरिष्ठ सदस्य हैं। Please take your seat. पुनिया जी को बोलने दीजिए।...**(व्यवधान)**...

SHRI MADHUSUDAN MISTRY: Sir, a Bill needs to be distributed two days prior to ... *(Interruptions)* ... The Chairman had already given the assurance in the House. ... *(Interruptions)* ... We drew the attention ... *(Interruptions)* ...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Wait for a minute. ... *(Interruptions)* ...

SHRI MADHUSUDAN MISTRY: The Bill should not be taken up for consideration on the same day when it comes. ... *(Interruptions)* ...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mistry *ji*. ..(Interruptions)...मिस्त्री जी, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, पुनिया जी आप बोलें, ...**(व्यवधान)**... माननीय चेयरमैन साहब ने रूल 123 में relax किया है। ...**(व्यवधान)**... आप प्लीज़ बैठें। पुनिया जी, आप बोलें।

SHRI BINOY VISWAM: Sir, the House is not in order. ... *(Interruptions)* ...

SHRI K.K. RAGESH: Sir, in protest, we are walking out. ... *(Interruptions)* ... Opposing the murder of democracy, we are walking out.

(At this stage, some hon. Members left the Chamber)

श्री पी.एल. पुनिया (उत्तर प्रदेश): आदरणीय उपसभापति जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण बिल के ऊपर अपनी पार्टी की तरफ से अपने विचार रखने का मौका दिया है।...**(व्यवधान)**... इस Central Educational Institutions (Reservation in Teachers' Cadres) Bill, 2019 पर विचार हो रहा है। आप सभी अवगत हैं कि Article 16(4) में SC, ST, OBC और Economically Weaker Sections के लिए reservation का प्रावधान है। उसी के तहत teachers के appointment में भी reservation की व्यवस्था है। UGC ने लगभग 1965-1967 से यह व्यवस्था की थी कि आरक्षित पदों का आकलन पूरी यूनिवर्सिटी को एक आधार मान कर किया जाएगा, Educational Institutions/College को आधार मान कर किया जाएगा। यह व्यवस्था लगातार चलती रही। इलाहाबाद हाई कोर्ट में यह मामला पहुंचा और अप्रैल, 2017 में उसने एक आदेश पारित किया। लोग अपील में गए, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको reject कर दिया और वह अन्तिम आदेश हो गया। इसी बीच UGC ने उस पर तत्काल आदेश जारी करने की बजाय अध्ययन कराया। 21 यूनिवर्सिटीज़ को involve करके उसने अध्ययन किया और यह पाया कि इससे SC, ST, OBC का अहित होगा, लेकिन फिर भी उसने आदेश जारी किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हमने अध्ययन कराया है और डिपार्टमेंट को एक आधार मान कर आरक्षित पदों का आकलन किया जाएगा और उसमें 13-point roster लागू किया।

आपको मालूम ही होगा कि 13-point roster में 4, 8 और 12 नम्बर पर OBCs, 7 नम्बर पर SCs और 14 नम्बर पर STs को रखा गया था। लेकिन चूंकि रोस्टर ही 13 नम्बर तक का है, 13-point roster है, तो 14 नम्बर पर रखे गए STs का कभी अवसर ही नहीं आएगा। हर बार STs को ignore किया जाएगा। इस प्रकार, इस व्यवस्था के अंतर्गत STs के लिए, आदिवासियों के लिए आरक्षण हमेशा-हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया है। अब इस ऐक्ट के माध्यम से SC/ST, OBC और upper castes के जो economically weaker sections हैं, उनकी बहाली के लिए यूनिवर्सिटी को आधार मानकर, कॉलेज को आधार मानकर रिक्त पदों का आकलन करने का प्रावधान किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि इसमें 13-point roster की जगह 200-point roster लागू होगा। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वे इसका भी खुलासा करें, क्योंकि कौन सी roster प्रणाली लागू होगी, इसमें उसका उल्लेख नहीं है। आप किस प्रकार शीघ्र इसका आदेश जारी करेंगे, मैं समझता हूं कि उसका भी उल्लेख करना चाहिए।

2 मार्च, 2019 को एक Ordinance के माध्यम से इसकी व्यवस्था को बहाल किया गया था। हमारे साथियों ने Ordinance के ऊपर आपत्ति जताई और यह आपत्ति सही भी है, क्योंकि Ordinance लाने से

पहले जो सत्र हुआ था, उसमें तत्कालीन माननीय एचआरडी मिनिस्टर मौजूद थे, जो अब एचआरडी मिनिस्टर नहीं है, उन्होंने वादा किया था कि हम पुरानी प्रणाली को बहाल करेंगे और Department-wise आकलन करने की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को समाप्त करेंगे। चूंकि यह मामला उस सत्र में भी उठाया गया था, आप उस समय बिल भी तो लेकर आ सकते थे। उस समय मांग की गई थी कि इस पर तत्काल हस्तक्षेप होना चाहिए और बिल लाकर पुरानी व्यवस्था को बहाल किया जाना चाहिए, लेकिन आप बिल लेकर नहीं आए, आप चुनाव की घोषणा के एक सप्ताह पहले Ordinance लेकर आए। इससे ज़ाहिर है कि आपकी मंशा राजनीतिक थी। आपका उद्देश्य, सशक्तिकरण या empowerment करने की मांग को पूरा करने का नहीं था। चूंकि चुनाव आ गया था और Ordinance लाने के एक सप्ताह बाद ही चुनाव की घोषणा हो गई थी, तो आप चुनाव में राजनीतिक लाभ उठाने के उद्देश्य से यह Ordinance लेकर आए थे। मैं आपसे विशेष रूप से एक बात कहना चाहूंगा, जब हाई कोर्ट का आदेश हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मुहर लगाई, आपने 21 विश्वविद्यालयों का अध्ययन करवाया और आदेश कर दिया कि विभागवार उसका आकलन किया जाएगा, 13-point roster लागू हुआ, आरक्षण लगभग-लगभग समाप्त हो गया, उस समय यूनिवर्सिटीज़ ने धड़ाधड़ विज्ञापन जारी कर दिए। पहले हम निवेदन करते रहे, अनुरोध करते रहे कि SC/ST, OBCs की जो backlog की vacancies हैं, उनमें आरक्षण को पूरा करने के लिए आप व्यवस्था करें, रिक्रूटमेंट करें, विज्ञापन निकालें, लेकिन तब विज्ञापन नहीं निकाले गए। लेकिन ज्यों ही आरक्षण की व्यवस्था बदली, आरक्षण सीमित हो गया, जब आपने देखा कि अब सब कुछ बगैर आरक्षण के ही रहेगा, तो धड़ाधड़, फटाफट विज्ञापन जारी होने लगे। मैं समझता हूं कि हमें इस तरह की मानसिकता तो त्यागना चाहिए। हमारे साथी श्री जावेद साहब यहां बैठे हुए हैं, इन्होंने यह मामला उठाया था कि अध्यादेश जारी हो गया, पुरानी व्यवस्था बहाल हो गई, आपकी 200-point roster प्रणाली restore हो गई, अब विभाग के बजाय रिक्तियों के निर्धारण के लिए यूनिवर्सिटी या कॉलेज को मानक माना जाए, उसके बावजूद जनरल कैंडिडेट्स को भर्ती के लिए बिना आरक्षण के advertisement जारी हुआ। तो मैं समझता हूं कि यह केवल हाउस में उल्लेख करके बताने की ही बात नहीं है, बल्कि मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कोई न कोई कार्रवाई भी अवश्य होनी चाहिए।

कितने पद हैं, उसके बारे में आपने बताया है कि हायर एजुकेशन में टीचर्स के 14,07,373 पद हैं। उनमें से 3,44,714 पद रिक्त हैं, तो काफी पद रिक्त हैं, जिनमें से अकेले सेंट्रल युनिवर्सिटीज़ में 7,000 पद रिक्त हैं। अगर यह देखा जाए तो एससी के केवल 8.6 परसेंट हैं, एसटी के 2.7 परसेंट हैं, जनरल के 56 परसेंट हैं और बाकी का अन्तर निकालेंगे, तो ओबीसी का परसेंटेज मिलेगा। जो कोई भी आरक्षित वर्ग है, उसके लिए आरक्षण पूरा नहीं है, जो निर्धारित आरक्षण है, वह पूरा नहीं है। इसके लिए मैं जानना चाहूंगा कि ये रिक्तियां कब तक भरी जाएंगी? ये जो 3,44,714 रिक्तियां हैं, इनमें राज्यों की युनिवर्सिटीज़ की भी होंगी। आपके सेंट्रल युनिवर्सिटीज़ में 7,000 पद रिक्त हैं। कुल मिला कर 3,44,714 पद रिक्त हैं। इनको कब तक भरा जाएगा?

दूसरा, जैसे मैंने उल्लेख किया, बहुत से पद हैं, जो एससी, एसटी और ओबीसी की बैकलॉग वैकेंसीज़ हैं। संविधान में भी इसकी व्यवस्था है कि बैकलॉग वैकेंसीज़ को भरने के लिए 50 परसेंट की कंडीशन लागू नहीं है। 100 परसेंट, अगर ओबीसी के 7,000 पद भरने बाकी हैं, तो 7,000 पदों के लिए

[श्री पी.एल. पुनिया]

बैकलॉग पुराना है, आरक्षण पूरा नहीं हुआ है, तो उन 7,000 पदों को ओबीसी के लिए 100 परसेंट आरक्षित करने का प्रावधान है। मैं यह चाहूंगा कि इस तरह का कोई स्पेशल रिक्रूटमेंट एससी, एसटी और ओबीसी के लिए हो। इसमें एक तो कितना बैकलॉग है और वह कब तक भरा जाएगा, इसको भी मैं चाहूंगा कि आप अवश्य एड्रेस करें।

अब देखने को यह रहता है कि युनिर्सिटीज़ में, कॉलेजेज़ में टेम्परेरी वैकेंसीज़ रहती हैं। आपने टेम्परेरी टीचर्स के रूप में नियुक्ति कर ली, कॉंट्रेक्ट पर अपॉइंटमेंट कर लिया गया, संविदा के ऊपर अपॉइंटमेंट कर लिया गया। कुछ जगहों पर तो गेस्ट टीचर्स की प्रथा है। हरियाणा और कुछ प्रदेशों में गेस्ट टीचर्स की व्यवस्था कर ली गयी है। उन पर आरक्षण लागू नहीं होता है। चूंकि वे नियमित पद नहीं हैं, इसलिए उन पर आरक्षण लागू नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि इस तरह की जो टेम्पररी पोस्ट्स हैं, कॉंट्रेक्ट अपॉइंटेंट्स, गेस्ट टीचर्स और इस तरह से जो पार्ट टाइम लगाये जाते हैं, वे कितने हैं और उनमें आरक्षण लागू करने के लिए क्या व्यवस्था करेंगे, क्योंकि वे भी पढ़ाने का ही काम कर रहे हैं, वे भी टीचर्स की तरह ही काम कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि कोई न कोई ऐसी व्यवस्था निकाल ली जाती है, जिससे कि हमको आरक्षण पूरा न करना पड़े। इस एक्ट में 4(1)(a) यह जो लिखा है, Section 4 (1) states that the provisions of Section 3 shall not apply to-(a) the institutions of excellence, research institutions, institutions of national and strategic importance specified in the Schedule to this Act. इसके साथ 8 इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट लगा रखी है। हम मानते हैं, इसको स्वीकार करते हैं कि institutions of excellence, research institutions, institutions of national and strategic importance का अलग महत्व है, महत्व रहना चाहिए, महत्व दिया जाना चाहिए, लेकिन यह क्यों मान कर चलते हैं कि ऐसी इंस्टीट्यूशंस में एससी, एसटी, और ओबीसी के लोग नहीं मिलेंगे और उनको इनसे पृथक रखा जाए? यह मानसिकता गलत है। आप उनको क्यों exclude करते हैं? आप व्यवस्था रखिए। अगर कैंडिडेट्स नहीं मिलते हैं, तो उसमें क्वालिफिकेशन निर्धारित है, उसमें अगर अनुभव निर्धारित है, तो वह भी निर्धारित है। अगर उसे कोई पूरा करता है, तो उसकी नियुक्ति होनी चाहिए। अन्यथा उनको पूरी तरह से exclude कर देना किसी तरह से भी सही नहीं है। कुछ पद ऐसे भी होंगे, जो हाइली स्किल्ड कैटेगरी के नहीं होंगे, जिनमें आरक्षण दिया जा सकता है। क्या माननीय मंत्री जी इस तरह की व्यवस्था करेंगे कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस में कुछ तरह से पोस्ट्स आइडेंटिफाई कर ली जाएं, क्योंकि यह बिल केवल टीचर्स के लिए है, दूसरे स्टाफ के लिए नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो दूसरी तरह का स्टाफ है, clerical staff है, क्लास फोर स्टाफ है या किसी administrative post पर हैं, उनमें आरक्षण की व्यवस्था सम्भवत: इन institutions में भी होगी। अगर नहीं है, तो कृपा करके इसे अवश्य देख लिया जाए। इस बिल में लिखा है कि - यह application है in certain Central educational institutions established, maintained and aided by the Central Government, and for matters connected therewith or incidental thereto. इसमें Central Institutions के लिए आपने व्यवस्था कर दी। फिर हाई कोर्ट का आदेश हुआ, सुप्रीम कोर्ट की उस पर मुहर लगी, मैं समझता हूं कि अब यह पूरे देश के लिए कानून बन गया है। आपने Central Institutions, Central Universities के लिए तो व्यवस्था कर दी, लेकिन State Universities में भी, सुप्रीम कोर्ट के

आदेश के अनुसार SC, ST, OBC का अहित न हो, मैं समझता हूं कि यह भी आपकी जिम्मेदारी है कि राज्य सरकारों के under जितनी universities हैं, उनमें भी यह व्यवस्था लागू हो। मैं यहां आपसे विशेष रूप से अनुरोध करना चाहूंगा, क्योंकि SC, ST, OBC से संबंधित चर्चा यहां हो रही है कि Central Universities में विशेष रूप से ऐसी घटनाएं देखने में आती हैं, जहां SC, ST and OBC छात्रों को identify करके, विशेष रूप से target करके, उत्पीड़न होता है। उनके उत्पीड़न को रोका जाए। रोहित वेमुला का केस बहुत स्पष्ट है। उस पर अलग-अलग आरोप लगे। ...**(समय की घंटी)**... एक संगठन विशेष की तरफ से उनके खिलाफ शिकायत की गई, उन्हें target किया गया, उन्हें निष्कासित किया गया, hostel की सुविधा देने से भी मना किया गया, ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: माननीय पुनिया जी, आपकी पार्टी के लिए 15 मिनट का समय है। अभी दो वक्ता और बोलने हैं, इसलिए कृपया conclude कीजिए।

श्री पी.एल. पुनिया: मुम्बई की डा. तदवी की घटना भी हमारे सामने आई, जिसमें उन्हें आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया। केन्द्र सरकार की उसमें जैसी अहम भूमिका रहनी चाहिए, वह नहीं रही। रोहित वेमुला के साथ खड़ा होने के बजाय, उनके खिलाफ काम हुआ और यह साबित करने की कोशिश की गई कि वह एससी नहीं था बल्कि ओबीसी था। यदि वह ओबीसी भी था तो क्या किसी संगठन को यह अधिकार है कि उसका उत्पीड़न इस सीमा तक किया जाए कि वह आत्महत्या करने को मजबूर हो जाए। मैं चाहूंगा कि ऐसे मामलों में भी स्पष्ट पॉलिसी बनाई जाए और विशेष व्यवस्था हो ताकि ऐसी उत्पीड़न की घटनाएं रुक सकें।

अन्य बातें न कहते हुए, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बिल की बहुत समय से प्रतीक्षा थी। हमारे HRD Minister इसे अब सदन में लेकर आए हैं। मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं इस बिल का स्वागत करता हूं और बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

श्री उपसभापति: माननीय प्रभात झा, आपके पास 20 मिनट का समय है।

श्री प्रभात झा (मध्य प्रदेश): आदरणीय उपसभापति महोदय, मैं यहां केन्द्रीय शैक्षणिक संस्था (शिक्षकों के काडर में आरक्षण) विधेयक, 2019 के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। 21वीं सदी की शिक्षा कैसी हो, इस पर एक अंतर्राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट आई है - 'Learning: The Treasure Within' में कहा गया है कि - 'इस सदी में बहुत से तनावों और द्वंद्वों से हमें गुज़रना पड़ेगा, जैसे वैश्विक और स्थानीय, सार्वभौमिक और वैयक्तिक, परम्परा और आधुनिकता, दीर्घकालिक और अल्पकालिक सोच, प्रतियोगिता और सहयोग, ज्ञान का असीमित प्रसार और मानव की ग्राह्य क्षमता, आध्यमिकता और भौतिकता। इसलिए इस सदी की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, जिससे ये तनाव और द्वन्द्व कम किए जा सकें, साथ ही संतुलन बनाकर शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग किया जाए।' यहां प्रश्न शिक्षा की प्रासंगिकता का है, गुणवत्ता का है, रोज़गार-परायणता का है, रचनाधर्मिता का है और मानवीयता का है। हमारी शिक्षा क्या इससे दूर है? मैं समझता हूं कि जो शिक्षा इससे दूर हो, उस शिक्षा को शिक्षा नहीं कहा जा सकता। शिक्षा को भारत-रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने राष्ट्र-निर्माण की अनिवार्य शर्त के रूप में देखा।

भारतरत्न महामानवी महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने शिक्षा को राष्ट्र निर्माण की अनिवार्य शर्त के रूप में देखा, एक ऐसी शिक्षा को जो प्राची और प्रतीची के समन्वय से बनी हो और मनुष्य मात्र के

[श्री प्रमात झा]

मानवी कल्याण में अभिवृद्धि करती हो। मालवीय जी ने शिक्षा को सबसे महत्वपूर्ण मजबूत चेंजर और चेंज एजेंट कहा था। शिक्षा के क्षेत्र में और विशेषकर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जब हम अपनी सरकार की नीतियों को देखते हैं, तो मुझे लगता है कि गत पांच वर्षों में इस देश के प्रधान मंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है और उन्होंने दुःख भी व्यक्त किया था कि आज जब विश्व के शिक्षण संस्थानों की चर्चा की जाती है, तब उस चर्चा के दौरान भारत का एक भी संस्थान नहीं आता है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में हमारा संस्थान विश्व के उच्च मानदंड पर आए और लोग कहें कि अब भारत का सबसे नहीं, विश्व का सबसे बड़ा शिक्षा का संस्थान है। उस दिशा में हमारी नीति बढ़ती जाएगी।

महोदय, 9 जनवरी को हम सब लोग सदन में उपस्थित थे, वह ऐतिहासिक रात, 12 बज गए थे, सब लोग थे, मैं सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं, बचपन से हम लोगों ने सपना देखा था कि गरीब सवर्णों को आरक्षण मिलेगा, वह सपना उस रात को साकार हुआ था कि सबके सहयोग से साकार हुआ था। हमने गरीबी देखी है, हमने गरीबों की स्थिति देखी है, जो असहाय सवर्ण गरीब बच्चे पलायन कर जाते हैं, स्कूल छोड़ जाते हैं, वे अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, उन संस्थानों में जाने की उनकी स्थिति नहीं होती है। अगर तहे दिल से किसी प्रधान मंत्री ने, किसी सरकार ने विचार किया, तो उस सरकार का नाम है नरेन्द्र मोदी की सरकार। घोषणा-पत्रों में तो बहुत लोगों ने लिखा, यहां तक कि एक प्रस्ताव भी लाया गया, लेकिन विल जो होती है, वह विल अगर किसी ने दिखायी, तो नरेन्द्र मोदी जी ने दिखायी और उन्होंने इतना ही नहीं किया, सारी चीजें मौजूद रखते हुए किया। हमारे संविधान में क्या कहा गया? जब संविधान बनाया गया था, तब उसकी मूल भावना क्या थी? लिखा था, 'सभी नागरिकों को हम सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक तौर पर न्याय देंगे और दूसरे अवसरों के मामले में समानता देने का प्रयास करेंगे। 'यह संविधान निर्माताओं की आरंभिक कल्पना थी और उस कल्पना को साकार किया है नरेन्द्र मोदी, इस देश के प्रधान मंत्री ने और उनकी सरकार ने। संविधान की इसी भावना को देखते हुए अनुसूचित जाति को 15 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति को 7.5 प्रतिशत और पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया। इसमें कोई तनाव नहीं पैदा किया गया, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। इसको छुआ भी नहीं गया और संविधान में संशोधन करके इसी सदन से, जब लोक सभा से इस सदन में आया, तो हम सब लोगों ने उसको पारित किया। उस दिन हर गरीब दिवाली मना रहा था, होली मना रहा था, दीए जला रहा था कि अब उसके बारे में भी किसी सरकार ने सोचने की कोशिश की है।

महोदय, गरीब होना कोई अपराध नहीं है। नरेन्द्र मोदी जी ने अपने दूसरे कार्यकाल के प्रारंभ में कहा, 'इस देश में मेरे लिए सिर्फ दो जातियां हैं - एक जाति वह है, जो गरीब है और दूसरी जाति वह है, जो गरीबों के लिए काम करते हैं।' उनको उन्होंने कहा कि 'इन दो जातियों के सिवाय भारत में कोई जाति नहीं है।' इस चुनाव का जो परिणाम आया है, उसमें भी यह दिखा दिया कि जाति-पाति से अब कोई मतलब नहीं है, जो विकास करेगा, जो देश के लिए सोचेगा, वही अब इस देश में राज करेगा। यह साफ तौर पर आ गया है।

महोदय, आर्थिक रूप से कमजोर गरीब सवर्णों को 10 प्रतिशत का आरक्षण देने का जो साहब उन्होंने दिखाया, मैं उनका और उनकी सरकार का, अपनी सरकार का तहे दिल से और सबके सहयोग

के लिए धन्यवाद देता हूं। अनेकों प्रयास किए गए थे, लेकिन प्रयास करना और उसको फलीभूत करना... फलीभूत करने का काम नरेन्द्र मोदी जी ने किया। गरीबों के हितचिंतक, क्या नारा दिया है, अदर कंट्रीज़ में जाइए, तो लोग कहते हैं कि मोदी स्लोगन क्या है, 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास'।

यह सिर्फ हमारे देश में ही नहीं है, यह abroad भी चला गया। अभी जी-20 की बैठक हुई थी, उसमें अपने देखा होगा कि नरेन्द्र मोदी जी अकेले जी-20 के सबसे आकर्षक बिन्दु बने हुए थे, सबसे attractive personality बने हुए थे। उसका कारण क्या था? उसका कारण भारत के प्रति आकर्षण और भारत की नीति था। उन्होंने जो तीन slogans दिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसकी शुरुआत 10 प्रतिशत आरक्षण के मामले में हुई थी। वे गरीबों के हितचिंतक हैं और यह उनका मूल मंत्र था। नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने संविधान के अनुच्छेद-15 से 16 में संशोधन करके, उसमें उपबंध जोड़कर इसे लागू किया। इसे लेकर न्यायिक आशंकाएं थीं। सब लोग कह रहे थे कि वे कोर्ट में जाएंगे और वे गए भी और वे किन-किन तरह से गए, यह हमें यहां कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। सारे आधार निर्मूल हो गए। मोदी सरकार का यह कदम गरीबी उन्मूलन की दिशा में है। यह मात्र आरक्षण नहीं था, इसके माध्यम से गरीबों को आशा दी गई थी, उनके आंसू पोछे गए थे, उनको विश्वास दिलाया गया था कि यह सरकार तुम्हारे लिए भी है। यदि तुम पैसे के अभाव में भी पढ़ना चाहते हो, तो तुम्हें कभी कोई रुकावट नहीं होगी। हर चीज़ को वोट की राजनीति से देखने का हमारा जो नज़रिया बना हुआ है, हमें उसे बदलना होगा। हर चीज़ वोट के लिए नहीं होती है। यह भारत के गरीबों की समृद्धि के लिए लिया गया निर्णय था। देश के प्रत्येक नागरिक को अपने विकास के लिए समान अवसर मिलेगा, अगर भारत में किसी ने यह कहने और करने के हिम्मत दिखाई है, तो मैं गर्व के साथ कहता हूं, उस व्यक्ति का नाम है, नरेन्द्र मोदी, नरेन्द्र मोदी, नरेन्द्र मोदी।

महोदय, मैं केंद्रीय शैक्षणिक संस्था (शिक्षकों के काडर में आरक्षण) विधेयक, 2019 के बारे में बताना चाहता हूं। राष्ट्रपति जी ने 7 मार्च, 2019 को केंद्र सरकार द्वारा स्थापित, अनुरक्षित तथा सहायताप्राप्त केंद्रीय शैक्षणिक संस्थाओं में शिक्षकों के काडर में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित व्यक्तियों को सीधी भर्ती द्वारा नियुक्तियों में आरक्षण प्रदान करने हेतु केंद्रीय शैक्षणिक संस्था (शिक्षकों के काडर में आरक्षण) अध्यादेश, 2019 को अपनी स्वीकृति दे दी थी। यह सिर्फ एक शुरुआत है। मैं पी.एल. पुनिया जी से कहना चाहता हूं कि आपको बहुत अवसर मिले थे। आपने इस बिल का समर्थन किया है और अच्छी चीज़ का समर्थन करना हर दल का नैति कर्तव्य है। मैं कभी-कभी सोचता रहता हूं कि क्या हमारी सरकार ने पांच साल में कोई अच्छा काम नहीं किया, क्योंकि आपने कभी-भी एक शब्द नरेन्द्र मोदी जी की नीतियों के बारे में नहीं कहा। हम इधर हैं, तो कोई गुनाह नहीं है, आप उधर हैं, तो कोई गुनाह नहीं है। यह इस देश की जनता को समझ आ गया, उन्होंने हमें दोबारा चुनकर भेज दिया, लेकिन आपको समझ में नहीं आया, इसमें मैं क्या कर सकता हूं।

महोदय, उसी दिन मंत्रालय ने भी यह अधिसूचना जारी कर दी और फिर 8 मार्च को यूजीसी ने तत्काल प्रभाव से पदों पर भर्ती करने के आदेश दिए। अभी पी.एल. पुनिया जी ने बताया क उच्च शिक्षा में लगभग सात हजार पद रिक्त थे और उस कारण से हमारी पूरी शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित हो रही थीं। यह बिल लोक सभा द्वारा पारित हो चुका है और आज राज्य सभा में आया है। वहीं दूसरी ओर अनुच्छेद-16(6) में जो प्रावधान किए गए थे, उन प्रावधानों को भी इसमें जोड़ा गया है कि जो आर्हतिक

[श्री प्रभात झा]

रूप से पिछड़ा वर्ग है, उनके प्रवेश और संकाय की नियुक्तियों में आरक्षण की दृष्टि से लाभ मिले। यह पूरी तरह से संविधान की मूल भावना के अनुरूप है। जो लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उनको दस प्रतिशत आरक्षण की दृष्टि से संकाय की नियुक्ति के लिए 717.83 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी दे दी, ताकि उसका निस्तारण जल्द हो सके। हमने लोगों को यह विश्वास दिलाया है, इसे सिर्फ पास नहीं किया। उस दिशा में अपने कदम बढ़ाए और यह कदम बढ़ाने की पहली सीढ़ी थी। उसके काम को प्रारंभ करने के लिए 717 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। वैसे यदि केन्द्र सरकार के विश्वविद्यालयों में, राज्य सरकारों के विश्वविद्यालयों में और प्राइवेट विश्वविद्यालयों में देखा जाए, तो पता चलेगा कि वर्ष 2017-18 में उच्चतर माध्यमिक शैक्षणिक संस्थाओं के लिए शिक्षकों के पदों की रिक्तियां पीछे से चली आ रही हैं। वे रिक्तियां आज से नहीं हैं, वे काफी दिनों से चली आ रही हैं। अभी आपने मंत्री जी से तीन लाख रिक्तियों के बारे में पूछा। क्या ये रिक्तियां आज पैदा हुई हैं? ये रिक्तियां बहुत पहले से चली आ रही हैं, लेकिन इस दिशा में कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस पर अगर किसी न ध्यान दिया है, तो वह इस देश की भाजपा-नीत एनडीए सरकार और उसके प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने दिया है। आपने कहा कि 3,44,714 पदों की रिक्तता है, लेकिन इसकी दिशा में जो कदम बढ़ाए जा रहे हैं, यह उन्हीं में से एक है। इसमें भी जो संस्थान केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के सीधे अधीन हैं, जो उनसे पोषित होते हैं, उनके द्वारा संचालित कौन है? आप उसको भी सुन लीजिए, आपने उसके बारे में नहीं बताया। ऐसे कुल 3,30,903 कॉलेजेज़ हैं, जिनमें आज भी 74,120 रिक्तियां बनी हुई हैं। जो केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं, उनमें 7,000 पद खाली हैं। इसी की दिशा में तो यह बिल लाया गया है और इसी की भर्ती की दिशा में तो हम आगे बढ़ रहे हैं! देश की यह आशा और आकांक्षा है कि जो बैकलॉग रहता है, वह अब नहीं होना चाहिए, सारी रिक्तियां भरनी चाहिए। इस तथ्य को मानव संसाधन विकास मंत्री जी विस्तार से सदन के सामने रखेंगे, मुझे नहीं पता, उन्होंने लोक सभा में रखा है।

उच्चतर शैक्षणिक संस्थाओं की रिक्तता को शीघ्र पूरा करने की मंशा के साथ सरकार द्वारा पहले अध्यादेश और अब विधेयक लाया गया है। राज्य सभा से इस विधेयक के पारित होने के बाद देश की उच्च शिक्षा में एक नया परिवर्तन, एक नई रूप-रेखा तैयार होगी। संसद के दोनों सदनों ने भारी बहुमत से संविधान में 103वें संविधान संशोधन को समर्थन के साथ स्वीकार किया और मुझे खुशी हे कि देश की सभी विधान सभाओं ने 103वें संविधान संशोधन के विषय के तहत 10 प्रतिशत आरक्षण आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को भी दिया। इसको सभी विधान सभाओं ने अपने यहां पारित किया है।

मित्रों, मैंने पहले कहा कि गरीब एक जाति है, उसका उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। मैं किसकी कोख से पैदा हुआ, मेरा परिवार, मेरी माँ गरीब हो सकती है, लेकिन इसकी मुझे शिकायत नहीं है। सरकार क्या है? सरकार वह है, जिसका इस देश के गरीबों से सबसे ज्यादा सरोकार है और इसलिए उस सरकार की प्रशंसा होती है। हमें पहले क्या कहा जाता था? पहले जब हम जनसंघ में थे, तो लोग कहते थे * मैं उस जमाने में नहीं था, मैं तो आज़ादी के 12 साल बाद पैदा हुआ हूं। तब वे क्या-क्या नहीं बोलते थे। उसके बाद आया ब्राह्मण-बनिया की पार्टी बीजेपी, ब्राह्मण जैन पार्टी। आज गौरव के साथ

*Expunged as ordered by the Chair.

5.00 P.M.

केवल मैं ही नहीं, इस देश का एक-एक गरीब कहता है कि अगर गरीबों का कोई नेता है, तो नरेन्द्र मोदी है और गरीबों की कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह जनादेश कह रहा है और जनादेश को स्वीकार करना चाहिए। किसी गरीब का उपहास इतने सालों तक उड़ाया गया, यह उड़ाने का हक़ किसी को नहीं था और न ऐसा करना चाहिए था।

हमारे प्रधान मंत्री जी ने शिक्षक उपस्थिति और शिक्षक गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए पहली बार एक-दो करोड़ रुपये नहीं, 900 करोड़ रुपये का परिव्यय अखिल भारतीय स्तर पर 25 दिसम्बर, 2014 को दिया था और "पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षक प्रशिक्षण अभियान" के तहत इस बात के लिए प्रयास शुरू कर दिया था कि हर हाल में गुणवत्ता होनी चाहिए। वे आज भी हम लोगों को सम्बोधित कर रहे थे। हम लोग आज संसदीय दल की बैठक में थे। मुझे प्रधान मंत्री जी की सोच को देखकर लगता है कि ये कैसे व्यक्ति हैं, जो सिर्फ भारत के बारे में और भारत की गुणवत्ता के बारे में सोचते रहते हैं? उन्होंने कहा कि हम संख्या में बहुत अधिक हैं, लेकिन संख्या से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हमारे व्यवहार और कार्य में गुणवत्ता होने चाहिए और शिक्षा में भी यही गुणवत्ता है।

उपसभापति महोदय जी, जिस देश का स्वास्थ्य स्वस्थ हो, जिस देश की शिक्षा स्वस्थ हो, उस देश का लोकतंत्र भी बहुत अच्छे से स्वस्थ होता है। अभी दो सवाल आए। पहला सवाल रोस्टर का आया। केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थानों की नियुक्ति के पूर्व से यह चला आ रहा है। आरक्षण के 13 प्वाइंट्स, अभी पुनिया जी ने बताया। रोस्टर सिस्टम दोषपूर्ण था। आरक्षित वर्ग - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग को उस वक्त समुचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा था और उसको प्रतिनिधित्व मिले, इसके लिए यह सब किया जा रहा है। इसको लेकर देश भर में आंदोलन भी हुए, न्यायालय के दरवाज़े भी खटखटाए गए, परिणामस्वरूप केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थाओं की नियुक्ति का काम ठप पड़ गया।

महोदय, नरेन्द्र मोदी जी की सरकार निर्णय और न्यायपूर्ण निर्णय लेने के लिए जानी जाती है और उन्होंने न्यायपूर्ण निर्णय लेने की सामर्थ्य दिखाई कि 200 प्वाइंट रोस्टर सिस्टम का परामर्श आया और पुनिया जी, सरकार ने उसको हरी झंडी दे दी, उसको नहीं रोका।

मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि विधेयक पारित होने के बाद अब आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग) को केंद्रीय शैक्षणिक संस्थाओं की नियुक्ति में समुचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। पहली बार 7000 रिक्त पड़े पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ किया गया है। इसके लिए हम सब लोग मिलकर हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी को बधाई देंगे तो मुझे लगता है कि अच्छा होगा।

महोदय, विधेयक के पारित होने के बाद केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थाओं की नियुक्ति में आर्थिक रूप से जो पिछड़े सामान्य वर्ग के लोग हैं, उनको भी 10 परसेंट आरक्षण का लाभ मिलेगा। अभी बहुत लोग आईआईटी में पास आउट हुए हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि आप हमारी तरफ से प्रधान मंत्री जी को बधाई दे दीजिए, पहली बार हमारी रैंक 7000 के करीब आयी है, लेकिन इस आरक्षण के कारण हम 647 रैंक में आए हैं और अब हमारा एडमिशन आईआईटी रुड़की में हो रहा है। भारत का युवा, जो कल का भविष्य है, उस भविष्य को संवारने का काम नरेन्द्र मोदी जी ने किया है। महोद, 158 केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थाओं के आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग को आरक्षण देने के उद्देश्य से सरकार 2.15 लाख अतिरिक्त सीटें बढ़ाने की बात कर रही है।

[श्री प्रभात झा]

आदरणीय उपसभापति महोदय, मैं तहेदिल से इस बिल का समर्थन करता हूं। इसके चारों पहलुओं को देखिए, एक तरह से मत देखिए। मैं फिर कहता हूं कि विपक्ष वह अच्छा होता है, क्योंकि बिना विपक्ष के लोकतंत्र का पहिया नहीं चल सकता है। मैं यहां पर 12 साल से हूं। अरुण जेटली जी भी बैठते थे, हम लोग उनके साथ बैठते थे, लेकिन सरकार के अच्छे निर्णय को कहने का साहस अरुण जी उस विपक्ष की बेंच से भी दिखाते थे। काश कभी यह सोचा जाता कि विकास की कोई जाति नहीं होती, विकास राष्ट्रवाद है, विकास आपका भी होना चाहिए और हमारा भी होना चाहिए। विकास की कोई जाति नहीं होती, विकास भारत का होता है और जब भारत का विकास होता है तो अमेरिका, जापान और फ्रांस भी कहता है "Hello Modi. How are you? Fine." वह नरेन्द्र मोदी को नमस्कार नहीं करता, बल्कि 130 करोड़ भारतीयों का ज़लज़ला होता है और उस ज़लज़ले में हम और आप सभी शामिल हैं। हम सब मिलकर इसका समर्थन करेंगे, जय हिन्द, जय भारत!

श्री उपसभापति: प्रो. राम गोपाल यादव जी, आपके पास 11 मिनट का समय है।

प्रो. राम गोपाल यादव: महोदय, आप मुझे कुल बोल लेने दीजिएगा।

श्री उपसभापति: माननीय सदस्य, मैं आपको पहले से बता रहा हूं।

प्रो. राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश): श्रीमान्, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सबसे पहला विधेयक, जो जनकल्याणकारी है, उसे सदन के सामने प्रस्तुत करने का काम किया है। माननीय मंत्री जी, एक देवभूमि के मुख्य मंत्री जी रहे हैं और एक मुख्य मंत्री का बहुत ही व्यापक अनुभव होता है, मैं यह जानता हूं, लेकिन मैं बहुत संक्षिप्त बोलूंगा। मैं प्रभात झा जी का बहुत सम्मान करता हूं और मैं उनकी सारी बातें ध्यान से सुन रहा था। सब जानते हैं कि एससी/एसटी का आरक्षण जो साढ़े बाईस परसेंट था, संविधान के लागू होते ही आरक्षण की व्यवस्था लागू हो गई थी। इसे किसने लागू किया? हमें इस पर कुछ नहीं कहना है।

ओबीसी के लिए जो 27 परसेंट आरक्षण लागू हुआ, उस मंडल कमीशन को माननीय वी.पी. सिंह जी ने लागू किया था। यह भी सारा देश जानता है और फिर क्या चीज़ें हुईं, क्या नहीं हुईं? यह अलग बात है, लेकिन कानून को लागू करने के लिए, उसकी व्याख्या करने के लिए जब पहले से mindset conditioned हो, तो आप कुछ भी कीजिए, तो उस पर सही तरीके से अमल नहीं हो सकता है। हम सब देखते आए हैं। महर्षि परशुराम तो भगवान विष्णु के अंशावतार थे, उन्होंने भी कर्ण को शस्त्र विद्या सिखाने के बाद यह श्राप दे दिया, क्योंकि तू ब्राह्मण कुमार नहीं, मैं तो ब्राह्मणों को शिक्षा देता हूं। यह जो शिक्षा दी, वक्त आने पर सब भूल जाएगा। गुरु द्रोण ने भी एकलव्य का अंगूठा ले लिया। जिस देश का mindset यह रहा हो, मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब फैसला किया, तो 7 फरवरी को मैंने लोगों से कहा कि मैं हाउस नहीं चलने दूंगा और पूरा सदन नहीं चल पा रहा था और इसी के ऊपर पूरा सेशन बेकार हो गया था। यह मामला मैंने उठाया था। जावडेकर साहब ने यहां 7 फरवरी को आश्वासन दिया कि जो यूजीसी ने नए 13 प्वांइट रोस्टर का आदेश किया है, उसके हिसाब से कोई नियुक्तियां नहीं होंगी, सब रोक दी जाएं। हम लोगों ने आशंका व्यक्त की कि सुप्रीम कोर्ट में सही

तरीके से पैरवी नहीं होगी और जो हाई कोर्ट का फैसला है, वही रहेगा और वही हुआ। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, तो मंत्री जी का आश्वासन बेकार हो गया।

[उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता) *पीठासीन हुए*]

और जैसा पुनिया साहब ने कहा था कि बरसों से रिक्त पड़ी हुई जो vacancies थीं, वे निकाली नहीं जा रही थीं, लेकिन जैसे ही आया, अगले दिन ही यूजीसी ने फिर जारी कर दिया और दूसरे दिन यूनिवर्सिटीज़ ने विभाग-वाइज़ 13 प्वाइंट रोस्टर के हिसाब से उस पर एडवर्टाइज़मेंट जारी कर दिए। यह क्या दर्शाता है? 8 मार्च को अध्यादेश हुआ। अध्यादेश तो कानून होता है। श्रीमन्, 22 अप्रैल को पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय ने एडवर्टाइज़मेंट जारी किए कुल 156 पदों के लिए। कायदे से उसमें ओबीसी, एससी, एसटी के लिए 78 पोस्ट्स होनी चाहिए थीं, लेकिन ये विभाग-वाइज़ जारी किए, 200 प्वाइंट रोस्टर के हिसाब से नहीं किए। उसमें केवल 50 पद इन तीनों कैटेगरीज़ के लिए हैं। कर्णाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय ने 11 अप्रैल को 137 vacancies जारी कीं। ओबीसी, एससी और एसटी के लिए 68 होनी चाहिए, उसमें केवल 50 ओबीसी, एससी और एसटी के लिए विज्ञापित की हुईं। तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय ने 16.05.2019 को 113 vacancies एडवर्टाइज़ कीं। उसमें ओबीसी, एससी और एसटी के लिए 56 होनी चाहिए थीं, लेकिन 40 ही इनके लिए रखी गईं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक में 145 पोस्ट्स के लिए एडवर्टाइज़मेंट किया गया, 47 होनी चाहिए थीं, लेकिन एससी, एसटी और ओबीसी के लिए केवल 35 ही हैं। यह बहुत आश्चर्य की बात है कि चारों विश्वविद्यालयों में 501 पोस्ट्स के लिए एडवर्टाइज़मेंट किया गया, उनमें 27 परसेंट के हिसाब से 135 ओबीसी की पोस्ट्स होनी चाहिए थीं, लेकिन 63 पोस्ट्स ही निकालीं, जो कि साढ़े तेरह परसेंट है। यह अधिकार रजिस्ट्रार और वाइस चांसलर को किसने दे दिया कि आप 27 परसेंट से घटाकर साढ़े तेरह परसेंट कर दें? यह अधिकार इन लोगों को किसने दिया? इसी तरह से प्रोफेसर्स की पोस्ट्स हैं। आप देखिए प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स और लेकचरर्स, इनमें प्रोफेसर्स की 81 पोस्ट्स हैं। OBC - nil - zero. There is not a single post. इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह mindset की बात है और इसमें कैसे आरक्षण को कम किया गया। मैं जानता हूं कि EWS को दिया गया, आपने बहुत अच्छा काम किया, मैंने भी उसका समर्थन किया था। यही एक काम है जिसका मैं समर्थन कर रहा हूं। आपको कितना ही जनसमर्थन मिला हो, कई बार बहुत जनसमर्थन मिलने के बाद भी जब काम गलत होते हैं तो आप उनको justify नहीं कर सकते हैं। आपने आरक्षण को कम करने के लिए व्यवस्था यह की कि ' Institution of Excellence' एक नया formula निकाल दिया - no reservation; appointment on contract basis - no reservation; guest teachers - no reservation. जावडेकर साहब, आप गर्दन क्यों हिला रहे हैं? Is it not correct?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Mr. Minister, you need not react.

प्रो. राम गोपाल यादव: मैं आपको बता रहा हूं कि लगातार किसी न किसी तरीके से रिज़र्वेशन कम करने की कोशिश की गयी। आप यह देखिए कि बरसों से posts खाली पड़ी हैं लेकिन एक भी advertise नहीं की जा रही और कोर्ट के फैसले के अगले दिन ही सब advertise हो जाती हैं - वह भी

[प्रो. राम गोपाल यादव]

एक subject को unit मानकर। 200-point roster में है कि पूरी university को माना जाएगा। अगर महाविद्यालयों का मामला है तो पूरे स्टेट का एक Higher Education Commission हर राज्य में होता है, सारे राज्य की vacancies को एक साथ निकाला जाता है और उसी के हिसाब से percentage निकाली जाती है। Subject-wise निकालेंगे तो जब एक विषय में चार posts निकालेंगी, तब एक ओबीसी की होगी - तो वे चार निकालेंगे ही नहीं। निकालने वालों का mindset यह है कि वे दो निकाल देंगे, तीन निकाल देंगे, ' noOBC' - एसीसी, एसटी की तो बात छोड़ ही दीजिए, एसटी का तो कभी इसमें नम्बर आ ही नहीं पाएगा। जैसा पुनिया साहब बता रहे थे कि अगर 14 posts होंगी, तब एक एसटी होगी। जब posts निकली थीं तो मैंने डा. किरोड़ी लाल मीणा से कहा था कि देखिए, कितनी एसटी की posts हैं, तब वहां पर वे मंत्रियों पर बिगड़ गए थे, जब वेंकैया जी ने दावत पर बुलाया था। इस प्रकार यह स्थिति है। प्रभात झा जी, मैं भी प्रधान मंत्री जी का प्रशंसक हूं, लेकिन जो वास्तविकता है, वह तो आप बताइए। आप इस पर नहीं बोलते और बाकी सारी चीज़ों पर बोलते रहे। अगर दुनिया के दूसरे देश के लोग प्रधान मंत्री जी का सम्मान करते हैं तो क्या हम लोगों का सीना गर्व से चौड़ा नहीं होता है? होता है, लेकिन यह जो असलियत है, जब तक इसके संबंध में दिमाग को, जो conditioned हो चुका है, उसे चेंज करने के लिए ट्रेनिंग नहीं देंगे - आप बहुत ट्रेनिंग देते रहते हैं, आपके ट्रेनिंग के बहुत कैम्प लगते हैं, तो क्या कभी आपने इस बात की भी ट्रेनिंग दी? इस दिमाग को बदलिए। महोदय, इस देश में तरक्की बहुत हुई है - लेकिन जो तरक्की हुई है, वह 15 परिवारों की हुई है। देश के 15 परिवारों के पास आज हिन्दुस्तान की 80 फीसदी सम्पत्ति है और सवा सौ करोड़ लोगों के पास है, 20 फीसदी। जब आप जीडीपी निकालते हैं तो सब कुछ जोड़ देते हैं। हम यह कहते हैं कि आप अलग-अलग स्टेट में लोगों की क्या per-capita income है, वह निकालकर देखिए, अपने आप आपको मालूम पड़ जाएगा कि देश की क्या स्थिति है, कितनी बड़ी तादाद में लोग गरीब हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता): राम गोपाल जी, आपका समय समाप्त हो चुका है, कृपया conclude कीजिए।

प्रो. राम गोपाल यादव: श्रीमन्, अंत में मैं माननीय मंत्री जी से यही कहना चाहूंगा कि आप उन लोगों पर जरूर नज़र डालिए जिन लोगों ने अध्यादेश के बाद भी - अध्यादेश यानी आपका आदेश है, सरकार का आदेश है, सरकार का कानून है - यह काम किया है, जो 13-point roster को ही लागू करने का काम कर रहे हैं।

200 प्वाइंट रोस्टर का नहीं, तो ऐसे लोगों से जवाब भी मांगिए और अगर penalise कर देंगे, तो गरीब लोगों का बहुत हित हो जाएगा। जो वेकेन्सियां हैं, ये सब *ad hoc* वाले फिर आगे चलकर सिरदर्द बन जाते हैं और जंतर-मंतर से लेकर कई जगह आंदोलन करते हैं और कहते हैं कि हमें रेगुलर कीजिए। आप पहले से ही regular appointment कर दें, बाकायदा उसमें वेकेन्सीज़ भी हैं, उसके हिसाब से appointment कर दें। बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी बहुत ज्यादा पैसा मांगिए। पांच तरीख को बजट पेश होगा। हमारे शिक्षा के बजट का जो टोटल परसेंटेज है, वह दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में बहुत कम है, आधा भी नहीं है। कई देशों की तुलना में तो one-third भी नहीं है, इसलिए

इसके लिए बजट में प्रोविज़न कीजिए। टीचर्स का appointment कीजिए। टीसर्च रिटायर होते जा रहे हैं और पोस्ट्स क्रिएट ही नहीं हो रही हैं। ...**(समय की घंटी)**... जब पोस्ट्स क्रिएट ही नहीं होंगी, तो आप appointments कैसे कर सकते हैं? फिर आपको *ad hoc* appointments करने पड़ेंगे, contract पर appointments करने पड़ेंगे। जैसे टीचर्स का appointment नहीं हुआ, तो शिक्षा मित्र रखे गए, उनकी संख्या लाखों में पहुंच गई और फिर वे सब इकट्ठे होकर लखनऊ में प्रदर्शन करते हैं, इतना बड़ा प्रदर्शन कोई पोलिटिकल पार्टी भी नहीं कर पाती है। यह संकट आपके और केन्द्रीय सरकार के सामने भी आ जाएगा, इसलिए सारा बैकलॉग पूरा कीजिए। आप तो उस जमीन से आते हैं, जिससे उम्मीद की जाती है कि सबको न्याय मिलेगा।...**(समय की घंटी)**... जिस जमीन की तरफ लोग जाते हैं, स्वयं मोदी जी केदारनाथ में ध्यान करने के लिए बैठ गए थे...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता): राम गोपाल जी, अब आप समाप्त कीजिए। आपके बोलने का समय समाप्त हो गया है, फिर भी हमने आपको दो मिनट और दिए।...**(व्यवधान)**... आप कन्क्लूड कीजिए।

प्रो. राम गोपाल यादव: आप OBC, SC और ST का बैकलॉग पूरा कर दीजिएगा और इसको बहुत ईमानदारी से लागू करवाइए। आप इस मंत्रालय को सफलतापूर्वक चलाएं, यही मेरी कामना है और मैं इस बिल का तहेदिल से समर्थन करता हूं।

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN (Tamil Nadu): Sir, this is a very important Bill. I welcome it because hon. Amma is the mother of all reservations. She made constitutional revolution, and she knew the art of how to get out of the judgement of the Supreme Court of India. Now only the Maharashtra Government has passed a law, and, of course, subject to the judgement of the Bombay High Court, they have modified the percentage of reservation also. So, Tamil Nadu is pioneer in reservation. Even prior to Independence, reservation was in force.

Now with regard to this Bill, earlier, when the Allahabad High Court judgement came, there was problem in our House which has been confirmed by the Supreme Court, and the then HRD Minister, hon. Mr. Javadekar, had given a promise that ' Everything will be done properly. Don' t worry'. That is the promise he had given to this House. He has fulfilled the promise. Immediately, the Ordinance has been promulgated and the education in India has been saved. I thank our hon. Minister, Shri Javadekar, because you have given this promise and Ordinance has been promulgated because review and then other legal remedies will not give immediate result. That is why, rightly the Central Government has promulgated the Ordinance. This is a right situation and rightly they have invoked the Articles of the Constitution and promulgated this Ordinance and saved our Central educational institutions.

[Shri A. Navaneethakrishnan]

Why I have mentioned Amma is because the * For example, in this matter, they have taken the view that the Department is a unit. But now the Central Government, headed by our hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi, has taken a very good policy decision and they have promulgated the Ordinance. And now, they are considering all educational institutions as a single unit for the purpose of reservation. So, it is a welcome policy decision. Our hon. Prime Minister has really acted very quickly in this matter. Prior to elections, a policy decision was taken and it was immediately implemented by way of this Ordinance. Still, I wish to seek one or two clarifications from the hon. HRD Minister. Minority educational institutions have been exempted from this reservation policy. Why? I am not against minorities. I am of the humble opinion that if it is aided institutions, the reservation policy must be implemented. There is no clarification in this matter as far as my reading on this Bill is concerned. I make this statement subject to correction and approval of the hon. HRD Minister. So, minority educational institutions, if they are aided, should not be granted exemption. That is my view. Also, it must be clarified by the hon. HRD Minister that the existing percentage of reservation applicable as on date must be made applicable to all the institutions, because as per clause 3, "Notwithstanding anything in any other law for the time being in force, there shall be reservation of posts in direct recruitment out of the sanctioned strength in teachers cadre in a Central educational institution to the extent and in a manner as may be specified by the Central Government by notification in the official Gazette." Now, we need an assurance from the hon. HRD Minister that the existing percentage of reservation will continue and it would be made applicable to the Central institutions. Sir, we have to depend upon the Executive for the promulgation of executive orders.

Then, Sir, I would like to draw the attention of the hon. HRD Minister to the fact that certain institutions have been exempted from the application of reservation from this Bill. But the hon. Minister and also the Central Government know better than me that only for the sake of completion of my speech in a way, I am quoting article 46 of the Constitution, which says, "The State shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people." Now, exemption has been given to certain institutions only on the premise or under the bona fide belief that reservation, if it is applicable, its excellence or its performance will not be as expected or as it should be. That is the intention of the Government. But my humble submission is that from my experience, –I have served two terms in the Tamil Nadu Public Service Commission –in Tamil Nadu, Scheduled Caste and Schedule Tribe candidates are filling up the vacancies in the general

*Expunged as ordered by the Chair.

quota especially from Kanyakumari, Thoothukudi and Tirunelveli. They are performing very well and they are occupying vacancies meant for the general quota. So, my humble submission would be that something must be done. Don' t assume that the Scheduled Castes cannot excel themselves. The list is very long. More than ten institutions have been given in the list; of course, eight institutions practically, but it is more than 10 institutions. I hope and trust that all sections of the people would definitely compete on merits also. So, we don' t doubt about their performance and exemptions may not be given to all the institutions. It can be minimised because there is a provision to alter the Schedule. In Tamil Nadu, Indira Gandhi Centre for Atomic Research, Kalpakkam and Institute of Mathematical Sciences, Chennai may be removed from this list. Our students are fully qualified; they are more competent than any other candidates of other parts of India. It is a right Bill; it is a good thing but exemption should not be given to more number of institutions through this Bill. This is my humble submission. As far as Tamil Nadu is concerned, all sections of people are doing very well. Even in NEET we are improving our position. Of course, we are not supporting the NEET. Even then, in spite of all difficulties, poor students are not able to go to the tuition centres. Private institutes are collecting lakhs and lakhs of rupees because of the enforcement of NEET in Tamil Nadu. See the ground reality. Poor candidates are really doing very well. There is pressure among the poor to do very well in the examination and they are having a strong desire of doing well in their life. Only because of their economic background, they should not be denied access to quality education. Access to quality education at affordable cost is a basic and fundamental human right. Now, the Central Government in the light of Article 46 should work at providing ' access to the quality education at affordable cost to all sections of people' . Article 46 is an enabling Article. Because of NEET, very poor students are not able to join the private tuition centres and are not able to secure more marks. The Tamil Nadu Government has passed two Bills. But it is pending with the Central Government. Kindly consider them and exemption may be given. Since it is a matter of education, I am making my very humble submission to the Central Government. Recently the hon. Prime Minister while delivering a speech on Radio laid stress on water conservation and reading. He has given an emphasis on reading habits. He has requested all the citizens to read well and he also said that people can upload the book they have read. That is the speech delivered by our hon. Prime Minister. Our hon. Prime Minister is really working very hard. I am thankful to him. Our poor people don' t have any other property except reading habit and studies, and the Degrees they are going to get help them learn and earn. Now, the exemption is given to certain institutions. They are all higher learning Institutes of Excellence. Of course, the list must be reduced or eliminated. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAWR KALITA): Please conclude. ...*(Interruptions)*...

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN: Sir, in my humble view, reservation is made applicable to all the institutions. If this is unfair, you are insulting certain categories of students or candidates or people. We are ready to learn anything provided opportunity is given to us. Once again, I thank our hon. Prime Minister and also Javadekarji and our new Minister for HRD. He has done a good job. Yesterday, the Bill was passed in the Lok Sabha and today he brought it urgently. I welcome it and support it. Thank you.

SHRI ABIR RANJAN BISWAS (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, Sir, I thank you for providing me this opportunity. Sir, the Central Educational Institutions (Reservation in Teacher's Cadre) Bill, 2019, I feel, is yet another effort to bring equality by reviving the 200 point roster as against the 13-point system put forth by the High Court of Allahabad. The aim of the Bill is to consider a Central Educational Institution as a unit in place of departments. Sir, the UGC Guidelines of 2006 were quashed by the High Court of Allahabad on 7th April, 2017. Sir, I have a question: Why didn' t the Government introduce this Bill in the following Session? The Supreme Court too gave a similar verdict on 23rd of January, 2019. As you know, Sir, the Parliament was in Session from 31st January to 13th February, 2019. Again, Sir, we did not find the Government making any effort to legislate on the matter. Instead, an Ordinance was promulgated on the 7th March, 2019, just three days prior to the announcement of elections. I feel that this cannot be a mere coincidence; this had a clear intention of taking advantage of time to make hollow promises. Sir, if we look at the period of 30 years after Independence, out of every 10 Bills that were passed, only 1 was an Ordinance. If we see the next 30 years, out of every 10 Bills passed, only 2 were Ordinances. And, if we go by the records of the last two years, most deplorably, Sir, we see that out of the 10 Bills passed, 4 of them have been Ordinances. In this regard, I have deep concerns. Sir, promulgating Ordinances, time and again, is against the very spirit and nature of a Parliamentary form of Government. The House is constituted of eminent and learned representatives of the people and by promulgating Ordinances on every matter, the Government is exhibiting an absolute authoritarian feature. It is discarding the views and inputs of the House. The House sits to give much better laws which the Indian people deserve. But, as of today, we saw, most deplorably, the way, the Government is functioning. We have many hon. Members who are complaining that they have been denied their rightful due by not providing them reasonable opportunity, of putting in their suggestions and bringing out all their points in the form of amendments. However, Sir, we understand that the House should be given due importance and the respect that it deserves. I request the Government to modify this procedure of discharging functions.

Next, Sir, I would like to say that the Bill mandates reservation for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes to fill up more than 7,000 vacant faculty positions in educational institutions. This is definitely a welcome step, but the process that this Government has adopted is no doubt faulty and promotes the interests of certain sections of the society. Sir, further, I would like to say that the new notification is also an attempt to dent efforts to ensure representation of SC/ST/OBC categories as per the constitutional mandate of 15 per cent, 7.5 per cent and 27 per cent respectively. If this system is taken, all professors of the same grouping across all departments in the university will be grouped together to estimate the extent of the quota. As a result, the positions open will be reduced, limited and not filling up positions as per requirement of subjects. Some departments/subjects will have all reserved and some all unreserved candidates. Moreover, the number of vacancies will not meet the required constitutional mandate. This is nothing but a sheer motive to leverage positions for the upper caste candidates. This Bill proposes to dilute the entire concept of reservation itself. Today, the reservation system in our Government posts is on the basis of the posts and not the number of vacancies in that arena. So, why should the same system not be followed in educational institutions as well? This Bill proposes to bring about a systematic change on the basis of reservation. It is only introducing a system of discrimination in the educational institutions that will only alienate the backward classes. Sir, I would like to say that Section 4, sub-section 1 and sub-clause (a), is a discriminatory clause. It provides that certain institutions will be kept out of the provisions of this Bill. I would request the Minister to explain the basis of selection of the institutes. All the institutes fall under the category of science and technology; I understand, but, when we are doing this, is the Government repeating the same mistake of doubting the capabilities of the concerned category? When these Universities have reservation for the student community, why is reservation not there for the teacher community as well? Sir, I would like to ask whether the Government is creating a sense of division and discrimination in appointing positions to the socially and economically-deprived sections in these institutions of esteem. Is the Government questioning the capabilities and undermining those who are entirely eligible? Sir, we saw that one hon. Member from the Treasury Benches was taking the credit for having given the reservation for the economically-backward classes. After taking all the credit, it is most stark contradiction that in the ordinance when brought, they have been deprived.

Then, Sir, I have a few suggestions for the hon. Minister. Firstly, the reservation should be allowed for the Universities that are excluded because if the criteria put forth by them is met with by any candidate of the concerned section, then why should he/she not be given the opportunity? Why should we not give them what is due? Secondly, a regulatory

[Shri Abir Ranjan Biswas]

body should be constituted to ensure proper functioning of the provisions of the Bill. And, in case of any disputes, it can discharge quick verdicts. This is necessary because even after the Ordinance, four Universities, namely, the Central University of Punjab, the Karnataka University, the Tamil Nadu University, and the Indira Gandhi National Tribal University, did not comply with the provisions. This would have gone unnoticed if it was not brought up by one of the hon. Members of this very august House itself. This is why, a responsible body to handle the affairs is necessary. This body should also be entrusted with the duty of looking into the redressal matter if arising after employment. This is because every other day, we come across cases involving hatred towards vulnerable sections mentioned in the Bill, namely, SC, ST, SEBC and EWS. I feel, doubting and questioning their capability is not right. There is a high chance that teachers appointed through this process will also face similar problems. That is why, this is very necessary. This is also very important and imperative, as most alarmingly, when we soon aspire to make India the third largest economic power of the world, we declare a mission to the moon and when we boast of achieving the prowess in space, which only three other countries of the globe are capable of, we are failing to provide a level-playing field for one and all. This is proved by the fact that atrocities meted out to the Backward Classes have increased by 37 per cent in the last decade.

In this regard, I would like to say that to avoid cases like one which involved suicide of Rohith Vemula, this is a very important step that the Government can and should take. And, it cannot be done until such serious steps are taken. Sir, in this regard, we have one more very unfortunate case that took place in Mumbai recently, as recent as May, where a young medical professional, Payal Tadvi, lost her life due to suicide, arising out of casteist slur and discrimination.

Sir, in this regard, I would like to mention that Shri Sukhdeo Thorat, a Professor Emeritus of JNU and the former UGC Chairman, who headed the Committee to investigate the allegations of discriminatory treatment against SC/ST students at the All-India Institute of Medical Sciences (AIIMS), had found that lower-caste students faced discrimination in everyday lives at the premier Institute. About the measures that should be taken to check the discriminatory behaviour, he said, "There has to be an Act by the Government to make caste-based discrimination at the university campuses a punishable offence. Apart from this, a set of guidelines should be formulated for the upper-caste students on how to behave in the presence of the students from the marginalized sections"

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Mr. Biswas, you have to conclude now.

SHRI ABIR RANJAN BISWAS: Sir, I am just concluding. Jobs and educational reservations are very vital in view of what Dr. Ambedkar said. He wanted reservation in services and educational institutions to be permanent. If those reservations were not put in place, this would have led to a constant struggle of the oppressed, who would have never found a channel to come into the mainstream. What would have been denied to them, they would have taken by force. Thus, we have to ensure measures to bring the backward classes in public services and provide them what is rightfully due to them. So, Sir, finally, I would like to request the Government to send this Bill to the Standing Committee where stakeholders from all fields associated with the Bill can be consulted and proper legal suggestions are taken to correct the provisions of this Bill which would otherwise only undermine the essence of reservation and its effects. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Thank you. Next speaker is Shri Prasanna Acharya. Mr. Acharya, your party has six minutes.

श्री प्रसन्न आचार्य (ओडिशा): सर, अभी श्री प्रभात झा जी बोल रहे थे, मैं उनको सुन रहा था। शायद अभी वे नहीं बैठे हैं, चले गए हैं। वे कह रहे थे कि सरकार जो भी अच्छा काम करती है, वहां बैठे जो लोग हैं, वे हमेशा उसका विरोध करते हैं। सर, यहां सारे लोग बुरे नहीं हैं, इस तरफ भी अच्छे लोग बैठे हैं। अगर सरकार कुछ अच्छा काम करती है, तो हम उसका समर्थन भी देते हैं। यह बिल एक ऐसा बिल है, जो सरकार का अच्छा काम है, इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

Sir, I support this Bill and I support the content of the Bill. Sir, while moving the Resolution disapproving the Ordinance, Mr. Kareem was expressing his doubt about the intention of the Government to promulgate an Ordinance to bring this into force. I entirely agree with him. Just a couple of days before the election, this Ordinance was brought by the Government with the argument that 7,000 posts were lying vacant. I would humbly like to know one thing from the hon. Minister. Out of 7,000 vacant posts, how many posts have been filled till date after the promulgation of this Ordinance? From that, we can come to a conclusion as to what was the emergency to promulgate the Ordinance. Sir, 7,000 posts are lying vacant. It is a fact. Let the Minister reply as to how many of those vacant posts they have been able to fill up after this Ordinance.

Sir, the earlier guidelines of the UGC were not for this 13-Point Roster System. Now, after the verdict of the court, both the Allahabad High Court, and, rightly corroborated and approved by the hon. Supreme Court, the entire scenario has changed. So, once again, I want to compliment this Government for putting things in order.

[श्री प्रसन्न आचार्य]

Sir, Navaneethakrishnan ji made a very valid point. You have excluded certain institutions, which have not been brought within the purview of this amendment. What is the reason? Is it not hypocrisy? If a person belonging to the SC/ST/OBC community can become a good professor, can he not become a good scientist? So, I think, it is not right to exclude these organizations and I completely support the contention of the hon. Member, Navaneethakrishnan ji. Why this hypocrisy? If you want reservation for the backward community, for the downtrodden society, for the Scheduled Castes, for the Scheduled Tribes, for the economically backward community, then, why do you make this discrimination? I also fail to understand, and, please correct me if I am wrong, why minority institutions have been excluded. Please reply to this point also.

Sir, it is regarding reservation in services of teachers. So far as I know, there is no reservation for students in the Central Government educational institutions. Unless we get good students belonging to the SC/ST community admitted into these good educational institutions, how can we expect to get good professors, how can we expect to get good engineers, how can we expect to get good scientists? Let me give you an example. Is there any reservation for students in Central schools, which are entirely funded by the Central Government? So, I would like to seek a clarification from the hon. Minister.

Sir, as has been mentioned, there are 7,000 vacancies. I will give you one more example. I would like to draw the attention of the hon. Minister that there is a Central University in Koraput in my State Odisha. Sir, Koraput is considered one of the most backward regions in the country. Sir, you will be astonished to know the vacancy position in the Central University of Koraput. Surprisingly, the Vice-Chancellor of the Central University never goes there. She never used to go to that place. The Office of the Vice-Chancellor operated from Kolkata. And the University is located in the remote place of Odisha which is Koraput. This is one of the most backward regions of the country, not just of the State. Sir, do you know the vacancy position there? Not a single Professor has been posted there as yet. Out of 23 sanctioned posts of Professor, not a single Professor has been posted there till today. There is only one Associate Professor out of the 42 sanctioned posts of Associate Professor. And 72 posts of Assistant Professor are vacant. Perhaps this Central University will break the record in terms of vacancy of teaching post in the whole country.

(MR. CHAIRMAN *in the Chair*)

Now the law has been changed. Now there is no bar in recruiting SCs, STs and Other Backward Classes people. We have removed the barrier in the law. Now what is the problem

on the part of the Government in appointing and filling up the vacant posts? I would humbly like the hon. Minister to answer it while replying to this debate. Thank you very much, Sir.

श्री सभापति: श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह। यह 'आर.सी.पी. सिंह' वगैरह क्यों यूज़ करते हैं? यह 'राम चन्द्र प्रसाद सिंह' बढ़िया नाम है। यह यूज़ करना चाहिए। ...**(व्यवधान)**... प्रो. राम गोपाल यादव जी को भी 'प्रो. राम गोपाल यादव' कहना चाहिए, आर.जी. यादव नहीं कहना चाहिए। इसमें 'राम' भी है और 'गोपाल' भी है।...**(व्यवधान)**...

श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह (बिहार): सभापति महोदय, यह बहुत ही प्रोग्रेसिव बिल है। मैं इसका समर्थन करता हूं। चूंकि मेरे पास 5 मिनट का ही समय है, मैं चार-पांच ऑब्जर्वेशंस रखना चाहूंगा।

श्री सभापति: आप एक-दो मिनट इधर-उधर कर सकते हैं। आप चिन्ता मत कीजिए, समय है।

श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह: महोदय, सबसे पहली बात यह है, जिसकी चर्चा नवनीत कृष्णनजी ने भी की और अभी प्रसन्न आचार्य जी ने भी की, कि मैं देख रहा हूं कि जो 18 इंस्टीट्यूशंस हैं...**(व्यवधान)**...

प्रो. मनोज कुमार झा: 17 हैं।...**(व्यवधान)**...

श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह: 18 हैं। ऊपर 10 हैं और नीचे 8 हैं।...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: ठीक है।...**(व्यवधान)**... बाद में आप बोलने वाले हैं।

श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह: इनको exclude किया गया है। पुनिया साहब बोल रहे थे। मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा कि जब यूपीए की सरकार थी और उस समय यह किया जा रहा था, तब हम लोगों ने आपत्ति की थी कि आपको किसी इंस्टीट्यूशन को रिज़र्वेशन के दायरे से बाहर रखना है, तो बता दीजिए कि वह Institution of Excellence है, यह है, वह है। वहं से इसकी शुरुआत हुई और यह बहुत ही गलत सोच है। आज की तारीख में हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी पढ़ाई करते हैं, उनमें से कोई अपनी दरख्वास्त देकर किसी जाति में पैदा नहीं हुआ है। वह किसी न किसी समाज में पैदा हुआ है। उनके पास मेरिट है और उनको जब अवसर मिलता है, opportunity मिलती है, तो वे excel करते हैं। हम लोगों की डेमोक्रेसी को हम लोग कई बार कंफ्यूज़ करते हैं कि यह कोई meritocracy तो नहीं है, यह geniocracy तो नहीं है। यह नहीं है। डेमोक्रेसी में सब लोगों को अवसर मिलना चाहिए। इसलिए मेरा सबसे पहले अनुरोध होगा कि हमारे जो 18 इंस्टीट्यूशंस को उसमें रखा गया है और इसमें सरकार को यह अधिकार है कि जो सेक्शन 4 है, उसी के 'बी' में यह लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसको रिव्यू कर सकती है। मेरा मंत्री जी से अनुरोध होगा कि आप एक कमेटी बना कर इसको तत्काल रिव्यू करके सब लोगों को आरक्षण के दायरे में लाइए। चूंकि आरक्षण का जो मामला है, यह एक mindset का भी मामला है। आप यह मान कर चलते हैं कि साहब, आरक्षण का मतलब है कि inferior लोग आयेंगे। मैं तो सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि अब तो आरक्षण कोई मुद्दा ही नहीं रहा। पहले यह मुद्दा होता था कि साहब, यह इनको मिल रहा है और उनको नहीं मिल रहा है। अब तो SC, ST, OBC और हमारे जो Economically Weaker Sections के हैं, सबको मिल रहा है। 59.5 परसेंट आरक्षण है। तो इसलिए इस चीज़ से आपको निकलना चाहिए।

[श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह]

मेरा दूसरा अनुरोध यह होगा कि मैं इसें देख रहा हूं कि 7,000 वैकेंसीज़ हैं। इनको भरने के लिए सबसे पहले आपको ensure करना पड़ेगा। अगर आप UGC पर छोड़ देंगे, तो बहुत परेशानी होगी। हरेक institution-wise इसको monitor करना पड़ेगा कि क्या उसका roster approve हुआ, 1 to 200 का roster हैं, उसका approval हुआ या नहीं हुआ। तो आप ensure कराइए कि जो भी roster बने, उसकी vetting हो जाए। यह vetting होने के बाद जब advertisement निकलेगा, तो इसमें किसी प्रकार के आरक्षण का उल्लंघन नहीं होगा। यहां एक दूसरी बात भी है। आपने इसमें जो selection का criteria रखा है, वह सबसे important है, क्योंकि जितने हमारे जन-प्रतिनिधि हैं, उनके आप रोज़ सुनते हैं और वे यहां बोलते भी हैं। हर selection के लिए आप interview रखते हैं। आप देख लीजिए कि interviews में बहुत ज्यादा subjectivity है। एक बच्चे को 80 में से written में आप 56 नंबर देते हैं और जब वह interview में जाता है तो उसे 2 नंबर दे रहे हैं। जिसका selection करना है, उसे 20 में से 19 नंबर दे रहे हैं। अन्य संस्थानों की बात छोड़ दीजिए, मैंने हाल में AIIMS में यही देखा है। हम इसे खुद भुगते हुए हैं। Written में किसी को 80 में से 56 नंबर मिले, लेकिन interview में 20 में से 2 नंबर। इसलिए आपको देखना पड़ेगा कि जिन 4 categories को इसमें आरक्षण दिया जा रहा है, जब भी हमारा Interview Board बने, उसमें उन चारों लोगों का प्रतिनिधित्व ज़रूरी होना चाहिए। इसके साथ ही, जहां सम्भव हो, interview को जरा कम कीजिए तथा maximum and minimum को आधार बना दीजिए। अगर कुछ अंक 20 हैं तो maximum कितने नंबर दिए जा सकते हैं और minimum कितने दे सकते हैं। उनके discretion पर मत छोड़िए। अगर आप इसे और ठीक करना चाहते हैं तो जैसे आजकल हम सब चीज़ों की videography करते हैं, इसकी भी videography कराइए। यदि किसी बच्चे के 19 नंबर आए हैं तो उसे बताया जाए कि तुमने ऐसे जवाब दिए, इसलिए 19 नंबर मिले हैं और तुमने जवाब ठीक से नहीं दिए इसलिए तुम्हें 1 नंबर दे रहे हैं। यदि आप ऐसा कर देते हैं तो जो quality का recruitment है, वह भी होगा और साथ ही बच्चों के मन में interview को लेकर जो भावना रहती है, हम सबके पास वे पैरवी के लिए पहुंचते हैं, वह भी बंद हो जाएगा। तब जाकर आपके पास अच्छे Professors आएंगे और समाज में जो हमारे बच्चे हैं, उनके मन से यह भावना निकल जाएगी कि बड़े स्थानों पर जाने के लिए पैरवी ज़रूरी है। लोकतंत्र में सबके लिए career open to talent की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर हमारे पास talent है तो हम अपनी क्षमता के आधार पर, किसी भी पद को प्राप्त कर सकते हैं। मुझे सभापति महोदय, इतना ही कहना है, बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI K.K. RAGESH (Kerala): Thank you, Mr. Chairman, Sir. The Bill seeks to provide reservation in teaching posts in certain educational institutions and the Bill treats educational institution, per se, as a unit for the purpose of reservation and hence, it overrules the judgment of the Supreme Court which was delivered in 2017. Sir, the Supreme Court had delivered its judgment in 2017 and the same Government was in power in 2017. So, if they wanted to overrule the judgment of the Supreme Court, they could have passed a legislation. You could have brought a Bill in this House in 2017 itself. You waited for two years and all of a sudden, you found that an election is at hand. So, you promulgated an Ordinance.

Sir, why such a gimmick? You could have brought a Bill in this House in 2017 itself, but you did not do that. That is the very reason why we had opposed the way of Ordinance. As we all know, OBCs in our country now account for more than 50 per cent of our population and so far as their number in central educational institutions is concerned, only 9.8 per cent OBCs are there presently. So far as the higher posts of Associate Professors, Professors, etc. are concerned, only one per cent OBC representation is there. I would like to bring to the notice of the hon. Minister that even after promulgating the Ordinance, 13 universities in our country have published advertisements for teaching posts in which the reservation policy was violated.

MR. CHAIRMAN: Mr. Ragesh, one minute please. For your better future, my suggestion is this. You are a Member. You have got every right. Instead of discussing what had happened earlier, it would be better if you focus more on what needs to be done.

SHRI K.K. RAGESH: Sir, I am coming to that.

MR. CHAIRMAN: By the time, you come to that, your time will be over. That is my worry.

SHRI K.K. RAGESH: No, no; I am saying that.

MR. CHAIRMAN: Please.

SHRI K.K. RAGESH: Sir, I am talking about the present thing. Thirteen universities have violated the reservation policy even after the promulgation of the Ordinance. That is my point.

Again, why are certain institutes exempted in this particular legislation? In all the educational institutions, funded by the Central Government or aided by the Central Government, there should be a provision for reservation. Why are several institutions exempted? I am opposed to that.

Sir, during this period, we have witnessed a mushrooming growth of educational institutions in our country. That growth is mainly taking place in private sector. You can see a lot of private educational institutions in our country. Many are private deemed universities and UGC is giving concurrence for those deemed universities. What is the regulation on those deemed universities? So, Sir, when we talk about reservation, this should be extended to private educational institutions also, to private deemed universities also. Why have you exempted private deemed universities? We are so keen in giving the status of national eminence to institutes like Jio institute. Why can we not ensure reservation in those institutions also? Let the Jio institute also provide reservation for SCs, STs and OBCs.

[Shri K.K. Ragesh]

Therefore, my humble request to hon. Minister is that please ensure reservation in private sector also.

Sir, many posts are lying vacant presently. In 41 universities, almost 8,000 posts are lying vacant. It looks like a ban on recruitment is going on in these universities. So, I would request the hon. Minister to take this issue very seriously and take necessary steps for fresh recruitments and fill up all the vacancies. So far as the reservation is concerned, let the Minister take some initiative for creating new posts so that we can recruit more teachers from backward communities in the educational institutions and hence we can ensure equal participation in the educational institutions so far as the teaching posts are concerned.

I had already sent some amendments, Sir. In fact, this Bill is reported in this House today only. That is why we did not get any time to prepare any amendment. Right now, we have prepared some amendments and I would request the hon. Chairman to consider those amendments also. Thank you, Sir.

PROF. MANOJ KUMAR JHA (Bihar): Thank you, hon. Chairman Sir. I come from teaching profession. I still teach; so, I would make some of my personal experiences as a matter of suggestion. सर, मैं सबसे पहले जिन्दगी का फलसफा... आज अफसाने में हरिवंश राय बच्चन जी को ला रहा हूं:

"जिन्दगी का फलसफा भी कितना अजीब है,
शामें कटती नहीं और साल गुजरते जाते हैं।"

मैं किन लोगों के लिए यह बात कह रहा हूं, with respect to higher education, I shall come to it a little later.

My first submission, through you hon. Chairman, Sir, is that, I think, we need a better drafting of the Bill. There are ambiguities in the Bill. This, I am telling you on the basis that never, ever should the House agree to a Bill which cannot withstand the legal scrutiny in the court. That is my first suggestion.

Sir, would the teaching cadre include assistant, associate as well as professor? It is because what has happened in last few years I have seen कि ओबीसी में खास तौर पर प्रोफेसर की पोस्ट को ओपन पोजिशन पर नहीं देते हैं या एसोसिएट प्रोफेसर की नहीं देते हैं, एंट्री लेवल पर होता है। हमारा मानना है कि वह ambiguity दूर होनी चाहिए। सर, मैं एक सवाल और भी; before you came, hon. Chairman, Sir, Prabhatji made a very strong statement about the Opposition. This Bill is a leading testimony to the fact about what the role of Opposition in a parliamentary democracy is.

6.00 P.M.

Had we not spoken to, raised the issue with your permission, Sir, I think, 13-point roster would have continued. We would never have imagined 200-point roster and, subsequently, today...

MR. CHAIRMAN: Manoj*ji*, you will continue your speech tomorrow and I will give you time also. This Bill will be taken up for discussion tomorrow also because there are a number of other speakers and, then, as was suggested by some Members that enough time is not given. Because of the fact that new Government has come, maybe old but new, and then they have to go through all this process in Lok Sabha; that is why we are giving the time exemption also. Keeping that in mind, we will continue the discussion tomorrow.

The House is adjourned to meet at 11.00 hours on Wednesday, 3rd July, 2019.

The House then adjourned at six of the clock till eleven of the clock on Wednesday, the 3rd July, 2019